

>

Title: Introduction of the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2019 (Amendment of Section 2,).

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.”

The motion was adopted.

डॉ. निशिकान्त दुबे : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

-

15.52 hrs